

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
पीठासीन अधिकारी मुकुल शर्मा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 99/2025 अन्तर्गत प्रतिभूति-हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002

आईकेएफ फाइनेन्स लिमिटेड जरिये प्राधिकृत अधिकारी शशांक शर्मा
 पंजीकृत कार्यालय:- डी नम्बर 40-1-144, कॉर्पोरेट सेन्टर, एम.जी.रोड,
 विजयावाडा, आन्ध्र प्रदेश-520010
 शाखा कार्यालय:- एफ2-ए, जगदम्बा टॉवर, आम्रपाली सर्किल, वैशाली नगर,
 जयपुर, राजस्थान

-प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. मैसर्स शमुन पॉप वर्क जरिये प्रोपराइटर शामुन, वार्ड नम्बर 4, मोहल्ला आथुना, मदीना मस्जिद, फतेहपुर, सीकर, राजस्थान-332301
2. शमुन पुत्र शब्बीर वार्ड नम्बर 4, मोहल्ला आथुना, मदीना मस्जिद, फतेहपुर, फतेहपुर शेखावाटी, सीकर, राजस्थान-332301
3. अहमद पठान पुत्र शमुन पठान वार्ड नम्बर 4, मोहल्ला आथुना, मदीना मस्जिद, फतेहपुर शेखावाटी, फतेहपुर, सीकर, राजस्थान-332301
4. रूकसाना पत्नि शमुन वार्ड नम्बर 4, मोहल्ला आथुना, मदीना मस्जिद, पानी की टंकी के पास, फतेहपुर शेखावाटी, फतेहपुर, सीकर, राजस्थान-332301

-अप्रार्थीगण (ऋणी/सहऋणी/बंधककर्ता)




The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

स्वीकृति आदेश


दिनांक: 17 जून, 2025

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता श्री विक्रम सिंह द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 क्रमशः मैसर्स शमुन पॉप वर्क जरिये प्रोपराइटर शामुन, शमुन पुत्र शब्बीर, अहमद पठान पुत्र शमुन पठान एवं


 (मुकुल शर्मा)
 जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

रुकसाना पत्नि शमुन की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थीगणों के स्वामित्व की अचल सम्पत्ति आवासीय पट्टा नम्बर न.पा./2022-23/फतेहपुर/472, वार्ड नम्बर 7, पानी की टंकी के पास, फतेहपुर, तहसील फतेहपुर शेखावाटी, जिला सीकर, राजस्थान में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 150.13 वर्गमीटर यानि 179.56 वर्गगज है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं— पूरब दिशा में मकान आसिफ पश्चिम दिशा में मकान कयूम/मुजसिम, उत्तर दिशा में मकान इमरान/उस्मान गुचिया एवं दक्षिण दिशा में आम रास्ता स्थित है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर कुल 11,00,000/- रुपये (अक्षरे रुपये ग्यारह लाख) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 20.01.2025 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई।
3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक 20.01.2025 को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की एवं समाचार पत्र में प्रकाशन की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।


 (मुकुल शर्मा)
 जिला नजिस्ट्रेट, सीकर



5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 क्रमशः **मैसर्स शमुन पॉप वर्क जरिये प्रोपराइटर शामुन, शामुन पुत्र शब्बीर, अहमद पठान पुत्र शामुन पठान एवं रूकसाना पत्नि शामुन** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थीगणों के स्वामित्व की अचल सम्पत्ति **आवासीय पट्टा नम्बर न.पा./2022-23/फतेहपुर/472, वार्ड नम्बर 7, पानी की टंकी के पास, फतेहपुर, तहसील फतेहपुर शेखावाटी, जिला सीकर, राजस्थान** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 150.13 वर्गमीटर** यानि **179.56 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं— पूरब दिशा में मकान आसिफ पश्चिम दिशा में मकान कयूम/मुजसिम, उत्तर दिशा में मकान इमरान/उस्मान गुचिया एवं दक्षिण दिशा में आम रास्ता स्थित है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के **स्वीकृति आदेश** प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।



6. आदेश आज दिनांक 17 जून, 2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


 (मकुल शर्मा)
 (मकुल शर्मा)
 जिला न्यायालय, सीकर
 जिला न्यायालय, सीकर